राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	अपीलार्थी की ओर से
1.	2296/2018	अशोक कुमार	1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू मण्डल, चुरू। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सीकर।	श्री उम्मेद सिंह तंवर एवं श्री हेमन्त धारीवाल राजकीय अधिवक्ता
2.	2297/2018	सुभाष चन्द्र सारसर		

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.07.2018
आदेश की दिनांक : 19.06.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

इस आदेश की उपर्युक्त तालिका में वर्णित सभी अपीलों में अन्तर्वलित तथ्य एवं बिन्दु समान हैं, अतः इन अपीलों की ग्राह्यता का बिन्दु इस एकल आदेश के द्वारा निर्णीत किया जाना इस अधिकरण ने न्यायहित में उचित समझा है। अपील संख्या 2296/2018 (अषोक कुमार बनाम निदेषक, प्रारंभिक षिक्षा, राजास्थान बीकानेर व अन्य) को अग्रग अपील (Leading appeal) मानते हुए इस अपील के तथ्यों का विवेचन/विश्लेषण इस आदेश में किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.09.1997 से सेवा मानते हुए राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम–6'डी' में चयन किया जावे तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक गणपतराम व लाला राम के समान अपीलार्थी को भी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत करते हुए समस्त लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार प्रकार है कि अपीलार्थी को सीधी भर्ती के तहत चयनोपरान्त प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई और उससे कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गजेन्द्र कुमार जैमन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य को चुनौती दी और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.07.2008 आदेश पारित किया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.05.2014 के द्वारा निर्णय की पालना में अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्ति

प्रदान की गई और दिनांक 25.09.1997 से काल्पनिक परिलाभ देते हुए कार्यग्रहण दिनांक से नगद देने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं समस्त लाभ दिनांक 25.09.1997 से देने के आदेश जारी किए। उक्त आदेशों की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 28.05.2014 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री गणपतराम को भी वर्ष 2014 में नियुक्ति दी गई, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है और उन्हें भी वरिष्ठता का लाभ एवं परिलाभ दिनांक 25.09.1997 से देने का आदेश पारित किया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.06.2018 के द्वारा दिनांक 25.09.1997 से प्रथम नियुक्ति मानते हुए दो वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर प्रथम नियुक्ति तिथि से स्थाई किया। नियम, 1971 के नियम–6डी के तहत् वरिष्ठतानुसार चयन किया गया। सीकर जिले में अप्रेल 2015 में वर्ष 2007 तक के अध्यापकों को उक्त नियम के तहत शिक्षा सेवा नियमों में चयन कर लिया गया। अपीलार्थी 1997 से कार्यरत होने के वाबजूद उक्त सेवा नियमों में वरिष्ठता के अनुसार चयन नहीं किया गया जबकि अपीलार्थी पदोन्नति पद हेतु सम्पूर्ण योग्यता रखता है और अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री गणपत राम व लाला राम को वर्ष 1997 की वरिष्ठता मानते हुए नियम–6डी में चयन किया गया और दिसम्बर 2016 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि अपीलार्थी उक्त कार्मिकों से वरिष्ठ होते हुए भी उसकी पदोन्नति नहीं की गई। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परन्तु इसका कोई निराकरण नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.09.1997 से सेवा मानते हुए राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम–6'डी' में चयन किया जावे तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक गणपतराम व लाला राम के समान अपीलार्थी को भी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत करते हुए समस्त लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर पूरजोर विरोध करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी के स्नातक के विषय लोक प्रशासन, राजनीतिक विज्ञान तथा इतिहास रहा है। अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान की पात्रता रखता है, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपील में कनिष्ठ से तुलना की गई है, कि पदोन्नति गणित विषय में पात्र होने के कारण गणित विषय में की गई है, इस प्रकार तुलना सम्भव नहीं है। अपीलार्थी का नामांकन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक सीकर द्वारा निर्मित तृतीय श्रेणी अध्यापकों की संबंधित वर्ष की निर्मित वरिष्ठता सूची में नहीं होने के कारण पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सका। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई और दिनांक 25.09.1997 से काल्पनिक परिलाभ देते हुए कार्यग्रहण दिनांक से नगद देने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं समस्त लाभ दिनांक 25.09.1997 से देने के आदेश जारी किए। उक्त आदेशों की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 28.05.2014 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यग्रहण किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ कार्मिक की तिथि से ही समस्त सेवा लाभ प्रदान किए गए है।

जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री गणपतराम एवं लाला राम को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किए जाने एवं अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नत न किए जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.12.2016 के अवलोकन से प्रकट होता है कि जिन कार्मिकों को उक्त आदेश के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है वह वरिष्ठ अध्यापक गणित विषय के कार्मिक है, परन्तु अपीलार्थी सामाजिक विज्ञान विषय का कार्मिक है और अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद की पात्रता रखता है। इस प्रकार अपीलार्थी की उक्त दोनों कार्मिकों से तुलना किया जाना नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2296/2018 (अशोक कुमार बनाम निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजास्थान बीकानेर व अन्य) की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील की पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य